



क0 2168

/आर0ए0

दिनांक 18/9/20

### सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला गुरुग्राम में जिले की सभी तहसील गुरुग्राम, सोहना, मानेसर, पटौदी, फरुखनगर व उप तहसील वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर, हरसरु में अचल सम्पत्ति के पंजीकृत के लिए वर्ष 2020-2021 (2<sup>nd</sup> Phase) के कलैक्टर रेट दिनांक 10.10.2020 तक लागू किये जाने हैं।

यदि कलैक्टर रेट वर्ष 2020-2021 (2<sup>nd</sup> Phase) पर किसी जनसाधारण को कोई आपत्ती या सूझाव है तो वह दिनांक 04.10.2020 तक अपने सूझाव उपायुक्त गुरुग्राम की एच0आर0ए0 शाखा (कमरा न0. 212) में सकता है।

धन्यवाद।

—आदेश—  
कलैक्टर गुरुग्राम